



इकाई- 1
Unit - 1

भारतीय संविधान और
धर्मनिरपेक्षता

The Indian Constitution
and Secularism

अध्याय- 1

भारतीय संविधान

The Indian Constitution

CLASS
VIIIth
(Polity)

NCERT
Based




By : Karan Sir

**इकाई - 1- भारतीय
संविधान और धर्मनिरपेक्षता**

अध्याय- 1

भारतीय संविधान





भारतीय संविधान


इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आपमें से ज्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा। बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाँह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक-दूसरे को थमाने लगें तो उस



Indian Constitution

In this chapter, we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of, or even played. As the name suggests, this is a game that involves the players' feet. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player (except the goalkeeper), then this is considered a foul. So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football any more.

खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग-अलग खेलों के बीच फ़र्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम (Constitutive rules) होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग-अलग समाजों के बीच फ़र्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग-अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के ज़रिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज़ में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है।



Similarly other games, such as hockey or cricket, also have rules according to which they are played. Each of these rules helps define the game, and helps us distinguish one game from another. As these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rules of the game. Like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of societies. In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form. A written document in which we find such rules is called a Constitution.

कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया? या उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।



We have looked at the Indian Constitution in Classes VI and VII in our *Social and Political Life* textbooks. Have you ever wondered why we need a Constitution or been curious about how the Constitution got written, or who wrote it? In this chapter, we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution. Each of these features is crucial to the working of democracy in India and some of these will be the focus of different chapters in this book.

आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज़ उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही

Today most countries in the world have a Constitution. While all democratic countries are likely to have a Constitution, it is not necessary that all countries that have a Constitution are democratic. The Constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. Or, put another way, a Constitution tells us what

बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं। उनके बीच कई बातें समान होती हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक-दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी बल्कि उन **आदर्शों** पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए।

the fundamental nature of our society is. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. A Constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. This includes not only the type of government but also an agreement on certain **ideals** that they all believe the country should uphold.

किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है?



बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं।

1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की माँग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह माँग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज़ हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है।

दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेज़ी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे।

Why Does a Country Need a Constitution?



The photo alongside shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly.

In 1934, the Indian National Congress made the demand for a Constituent Assembly. During the Second World War, this assertion for an independent Constituent Assembly formed only of Indians gained momentum and this was convened in December 1946. The photo on page 2 shows some members of the Constituent Assembly.

Between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India. Free to shape their destiny at last, after 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. You will read more about the work of the Constituent Assembly later in the chapter.

The photo alongside shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly.

नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेन्द्र ने गाँवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फ़रवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते

पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन-चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जनांदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुँच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी-मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में, राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया।

2006 में लोकतंत्र की माँग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में हैं।



The country of Nepal has witnessed several people's struggles for democracy. There was a people's struggle in 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. In October 2002, King Gyanendra, citing the Maoist uprising in the countryside as his reason, began taking over different aspects of the government with the army's assistance.

The King then finally took over as the head of government in February 2005. In November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement. This agreement signalled to the larger public an imminent return to democracy and peace. In 2006, this people's movement for democracy began gaining immense force. It repeatedly refused the small concessions that the King made and finally in April 2006 the King restored the Third Parliament and asked the political parties to form a government. In 2008, Nepal became a democracy after abolishing the monarchy. The above photos show scenes from the people's movement for democracy in 2006.





इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग-अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएँ भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का

Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. Until recently, Nepal was a monarchy. The previous Constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the King. A people's movement in Nepal fought for several

पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनांदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे।

decades to establish democracy and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the King. The people had to write a new Constitution to establish Nepal as a democracy. The reason that they did not want to continue with the previous Constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be, and that they have fought for.

जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है।

As in the game of football, in which a change in the constitutive rules will change the game altogether, Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. This is why, the people of Nepal adopted a new Constitution for the country in 2015. The caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy.

संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद् के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है।

The second important purpose of a Constitution is to define the nature of a country's political system. For example, Nepal's earlier Constitution stated that the country was to be ruled by the King and his council of ministers. In countries that have adopted a democratic form of government or **polity**, the Constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision-making within these societies.

अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि मूलभूत (**Constitutive**) शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने रोज़मर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दें।

नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी?

Discuss with your teacher what you understand by the term 'constitutive'. Provide one example of 'constitutive rules' from your everyday life.

Why did the people of Nepal want a new Constitution?

लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा-पट्ट में देखा जा सकता है –

In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the Constitution usually provides safeguards against this. This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below:

सुरेश अपनी कक्षा का मॉनीटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं। वह सुरेश को सब बच्चों का खयाल रखने के लिए बोल कर चली जाती हैं। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है।

श्रीमती राव के लौटने पर...

जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थीं तो अनिल शोर मचा कर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी।

अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा, तुम आज 100 बार लिखोगे कि 'मैं मॉनीटर को तंग नहीं करूँगा'।

लेकिन... मैडम... मैंने तो कुछ भी नहीं किया!





अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ।

लेकिन मैंने किया क्या है?



Suresh is the class monitor. He is a bully. His classmates are not too fond of him. Mrs Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil.

When Mrs Rao returns to the class ...



लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खण्ड में दिए गए हैं। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है।

In democratic societies, the Constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. In the case of the Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section on Fundamental Rights. You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender, and place of birth. The Right to Equality is one of the Fundamental Rights guaranteed by the Indian Constitution.

1. मॉनीटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है?
2. नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा-
 - (क) जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है;
 - (ख) जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षाकर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है;
 - (ग) जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ़ एफ.आई.आर. दर्ज न की जाए।

1. In what way is the class monitor misusing his power?
2. In which of the following situations is a minister misusing his power:
 - a) refuses to sanction a project of his ministry for sound technical reasons;
 - b) threatens to send his security staff to rough up his neighbour;
 - c) calls up the police station asking them not to register a complaint that is likely to be filed against his relative.



उपरोक्त चित्रकथा-पट्ट में कौन लोग अल्पसंख्या में हैं? बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों से यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है?

शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं।



लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। नीचे दिए गए चित्रकथा-पट्ट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है।

इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्रकथा-पट्ट से पता चलता है, बहुमत की **निरंकुशता** का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का खयाल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है जिसे अंतर-सामुदायिक (Inter-community) वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतःसामुदायिक (Intra-community) वर्चस्व कहते हैं।



Who is in a minority in the above storyboard? In what way is this minority being dominated by the decision taken by the majority?

Another important function that a Constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other, less powerful people or groups. The storyboard below demonstrates one such situation in the classroom.

Such unhealthy situations can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interests. As the above storyboard illustrates, every society is prone to this **tyranny** of the majority. The Constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. Another reason why we have a Constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. This can refer to one community dominating another, i.e. inter-community domination, or members of one community dominating others within the same community, i.e. intra-community domination.

संविधान क्यों होना चाहिए – इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे के चित्रकथा-पट्ट को देखिए।

The third significant reason why we need a Constitution is to save us from ourselves. This may sound strange but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interests and the Constitution helps us guard against this. Look at the storyboard below to understand this better:


शबनम दुविधा में है। उसे कुछ तय करना है।

कल की परीक्षा के लिए मुझे दो अध्याय पढ़ने हैं। लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टी.वी. कार्यक्रम आ रहा है। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी।

शबनम, तुम परेशान लग रही हो... क्या बात है?

मुझे यह टी.वी. कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टी.वी. देखेंगे तो मेरा भी टी.वी. देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है। अगर आज की रात कोई भी टी.वी. न देखे तो? तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा।





Shabnam is in a fix. She has a decision to make.

I have two chapters left to revise for tomorrow's test. But it's time for my favourite TV programme. I'm dying to watch it. But if I do that, I won't have time to finish my revision.

Shabnam, why are you looking so worried?

I want to watch this TV programme but I have a test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have an idea. What if no one watches TV tonight? Then I may not be tempted.

संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुँच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगें कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फ़ौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बह कर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं

Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a

कर पाएँगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस-नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके ज़रिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है।


इस चर्चा से आप समझ जाएँगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

strong dictator to set this right. Swept by this emotion, they may not realise that in the long run, dictatorial rule goes against all their interests. A good Constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom.

From the above discussion, you will understand that the Constitution plays a very important role in democratic societies.



शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टी.वी. नहीं देखा? ऐसी स्थिति में आप क्या करते?



Why was Shabnam happy that she had not watched TV? What would you have done in a similar situation?

आइए अब निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों से तालिका को भरें। इसके ज़रिए इस बात को दोहराएँ कि लोकतांत्रिक समाजों में संविधान इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है-

उदाहरण	मूलभूत नियम
नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान अपनाया।	ये ऐसे आदर्श हैं जिनसे पता चलता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं।
सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवज़ह परेशान कर रहा है।	
लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज़्यादा है।	
शबनम ने टी.वी. देखने की बजाय अपने अध्यायों को दोहराने का फ़ैसला लिया।	

आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं।

Let us recap the reasons why the Constitution plays an important role in democratic societies by recalling the constitutive rules that you have read about through these examples:

Example	Constitutive Rules
The people of Nepal adopted a new Constitution after the success of the people's movement for democracy.	It lays down ideals that define the kind of country that we want to live in.
Suresh, the class monitor wrongly picks on Anil, his classmate.	
The girls do not get to play basketball because the boys are a majority in class.	
Shabnam decides to revise her chapters instead of watching TV.	

Now let us try and understand the ways in which the above points get translated into certain ideals and rules by studying some key features of the Indian Constitution.



संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक ज़बरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक-एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के मध्य में सरदार वल्लभभाई पटेल दिखाई दे रहे हैं जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे।



There was an extraordinary sense of unity amongst the members of the Constituent Assembly. Each of the provisions of the future constitution was discussed in great detail and there was a sincere effort to compromise and reach an agreement through consensus. The above photo shows Sardar Vallabhbhai Patel, a prominent member of the Constituent Assembly.

भारतीय संविधान : मुख्य लक्षण

बीसवीं सदी तक आते-आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र

The Indian Constitution: Key Features

By the beginning of the twentieth century, the **Indian national movement** had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had had very little role in making.

भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले तीन साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं।

The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next three years to write India's Constitution.

संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे। उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल-पुथल से गुज़र रहा था। भारत और पाकिस्तान का बँटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थीं कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएँगी।

These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct cultures. Also, when the Constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent, some of the Princely States remained undecided about their future,

जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे। लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज़ दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज़ तैयार किया उसमें सामाजिक-आर्थिक सुधारों के ज़रिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है।

and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasising the crucial role the people can play in choosing their representatives.



बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉ. अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियाँ बेफ़िक्र नहीं हो सकतीं क्योंकि इन कानूनों का संचालन 'सवर्ण हिंदू अधिकारियों' के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़-चढ़कर शामिल हों।

Baba Saheb Dr Ambedkar is known as the Father of the Indian Constitution. Dr Ambedkar believed that his participation in the Constituent Assembly helped the Scheduled Castes get some safeguards in the draft constitution. But he also stated that although the laws might exist, Scheduled Castes still had reason to fear because the administration of these laws were in the hands of 'caste Hindu officers'. He, therefore, urged Scheduled Castes to join the government as well as the civil services.

आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक-आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए जिनसे इस दस्तावेज़ को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया।

Listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading these, keep in mind the above-mentioned concerns of diversity, unity, socio-economic reform and representation that the authors of this document were grappling with. Try and understand the ways in which they tried to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into a strong, democratic society.

1. **संघवाद (Federalism)** - इसका मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे।

1. **Federalism:** This refers to the existence of more than one level of government in the country. In India, we have governments at the state level and at the centre. Panchayati Raj is the third tier of government and you have read about this in your Class VI book. We looked at the functioning of the state government in your Class VII book and this year we will read more about the central government.

पंचायती राज



आज का दिन बहुत खास है। सभी लोग अपनी-अपनी बातें कह रहे हैं। गाँव के विकास के लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा।

राज्य शासन कैसे काम करता है



Panchayati Raj



Today is a special day. Everyone is sharing their views. For the development of our village, we need to work together.

How the State Government Works



भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्त्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए

The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. Instead, it was important to have another level of government in the states so that decisions could be made for that particular area. While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subjects of national concern require that all of these states

कानूनों को मानना पड़ता है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं।

follow the laws of the central government. The Constitution contains lists that detail the issues that each tier of government can make laws on. In addition, the Constitution also specifies where each tier of government can get the money from for the work that it does. Under federalism, the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the Constitution as well. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government.

जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य ए.के. अय्यर ने कहा था कि यह कदम “आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के ज़रिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी।”

ऑस्टिन, जी. 1966, दि इंडियन
कॉन्स्टीट्यूशन : कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन,
क्लेरेंडन प्रेस, ऑक्सफोर्ड।

When the Constituent Assembly adopted the principle of universal adult franchise, Shri A.K. Ayyar, a member, remarked that this was done “with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule, and in the full belief that the introduction of democratic government on the basis of adult suffrage will bring enlightenment and promote the well-being, the standard of life, the comfort, and the decent living of the common man”.

Austin, G. 1966. *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*. Clarendon Press, Oxford.

2. **संसदीय शासन पद्धति**- सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे

2. **Parliamentary Form of Government:** The different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. Your Class VII book began with the story of Kanta who was standing in line to vote during an election. The

नीचे चित्र में दर्शाया गया है कि लोग अपना वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं।

The photo below shows people standing in line to cast their votes.



तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर-तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत-मर्द के फ़र्क पर आधारित ऊँच-नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक

Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. When they were making the Constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class

मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्यपद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे।

and gender hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. Also, every citizen of the country, irrespective of his/her social background, can also contest in elections. These representatives are accountable to the people. You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book.

3. शक्तियों का बँटवारा- संविधान के अनुसार सरकार के तीन अंग हैं – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं।

3. Separation of Powers: According to the Constitution, there are three organs of government. These are the legislature, the executive and the judiciary. The legislature refers to our elected representatives. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the

न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक-दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बँटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है।

government. The judiciary, of which you will read more in Unit 3 of this book, refers to the system of courts in this country. In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. Through this, each organ acts as a check on the other organs of government and this ensures the balance of power between all three.



संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके ज़रिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके।



Members of the Constituent Assembly feared that the executive might become too strong and ignore its responsibility to the legislature. The Assembly, therefore, included a number of provisions in the Constitution to limit and control the action taken by the executive branch of government as a whole.

इस अध्याय में 'राज्य' शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम 'राज्य' शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे 'सरकार' से भिन्न अर्थ में लेते हैं। 'सरकार' की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना। लेकिन चुनावों के ज़रिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले **संप्रभु** लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार (या कार्यपालिका) राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि राज्य और सरकार के बीच क्या फ़र्क होता है।

The word 'State' is often used in this chapter. This does NOT refer to state governments. Rather when we use State, we are trying to distinguish it from 'government'. 'Government' is responsible for administering and enforcing laws. The government can change with elections. The State on the other hand refers to a political institution that represents a **sovereign** people who occupy a definite territory. We can, thus, speak of the Indian State, the Nepali State etc. The Indian State has a democratic form of government. The government (or the executive) is one part of the State. The State refers to more than just the government and cannot be used interchangeably with it.

Discuss the difference between State and Government with your teacher.

4. **मौलिक अधिकार-** मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की 'अंतरात्मा' भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के **मनमाने** और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है।

12-3-8

4. **Fundamental Rights:** The section on Fundamental Rights has often been referred to as the 'conscience' of the Indian Constitution. Colonial rule had created a certain suspicion of the State in the minds of the nationalists and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of State power in independent India. Fundamental Rights, therefore, protect citizens against the **arbitrary** and absolute exercise of power by the State. The Constitution, thus, guarantees the rights of individuals against the State as well as against other individuals.

↳

भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार-

1. समानता का अधिकार

14-18
कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुँच का अधिकार होगा। राजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है।

2. स्वतंत्रता का अधिकार

15-22
इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा/संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने-जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार

23-24
संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

25-28
सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है।

5. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार


29-30
संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई, सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने-अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं।

6. संवैधानिक उपाचार का अधिकार



32
यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है।

Right of Equality

समानता के अधिकार



4



The Fundamental Rights in the Indian Constitution include:

1. Right to Equality: All persons are equal before the law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops etc. The State cannot discriminate against anyone in matters of employment. But there are exceptions to this that you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished.

2. Right to Freedom: This includes the right to freedom of speech and expression, the right to form associations, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practise any profession, occupation or business.

3. Right against Exploitation: The Constitution prohibits human trafficking, forced labour, and employment of children under 14 years of age.

4. Right to Freedom of Religion: Religious freedom is provided to all citizens. Every person has the right to practise, profess and propagate the religion of their choice.

5. Cultural and Educational Rights: The Constitution states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture.

6. Right to Constitutional Remedies: This allows citizens to move the court if they believe that any of their Fundamental Rights have been violated by the State.

विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सकें। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है— पहला, हरेक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सकें और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

Moreover, the various minority communities also expressed the need for the Constitution to include rights that would protect their groups. The Constitution, therefore, also guarantees the rights of minorities against the majority. As Dr Ambedkar has said about these Fundamental Rights, their object is two-fold. The first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights. And secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws.

मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति-निर्देशक तत्त्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे।

In addition to Fundamental Rights, the Constitution also has a section called Directive Principles of State Policy. This section was designed by the members of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms, and to serve as a guide to the independent Indian State to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses.

निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है –

- यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मज़दूरी करता है।
- यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है।
- यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है।
- यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है।

Which Fundamental Rights will the following situations violate:

- If a 13-year old child is working in a factory manufacturing carpets.
- If a politician in one state decides to not allow labourers from other states to work in his state.
- If a group of people are not given permission to open a Telugu-medium school in Kerala.
- If the government decides not to promote an officer of the armed forces for being a woman.



उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद हैं। सबसे निचले चित्र में दाएँ से बाएँ क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं : श्री जयरामदास दौलतराम, खाद्य एवं कृषि मंत्री; राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री; डॉ. जॉन मथाई, वित्त मंत्री; सरदार वल्लभभाई पटेल, उपप्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम, श्रम मंत्री खड़े हैं।

The above photos show various members of the Constituent Assembly signing a copy of the Constitution at its final session on 24 January 1950. The first photo (from top) shows Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru signing. The second photo is of Dr Rajendra Prasad, President of the Constituent Assembly. The last photo shows the following persons (from right to left): Shri Jairamdas Daulatram, Minister for Food and Agriculture; Rajkumari Amrit Kaur, Health Minister; Dr John Mathai, Finance Minister; Sardar Vallabhbhai Patel, Deputy Prime Minister and behind him Shri Jagjivan Ram, Labour Minister.

5. धर्मनिरपेक्षता - धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे।

5. Secularism: A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. We will read more about this in the following chapter.

अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी-कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के ज़रिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं। वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी।

You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of Constitution that a country adopts for itself. The Constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. Just like in the game of football, a change of constitutive rules will affect the game. Indian Constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the polity. Often a major change in the Constitution means a change in the fundamental nature of the country. We saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new Constitution after it became a democracy.

ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन अभी आप इस बारे में ज्यादा फ़िक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएँगे। ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएँगे।

The different features of the Indian Constitution outlined above, involve complicated ideas that are often not easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment. In the rest of the book as well as in your higher classes, you will read more about these different features of the Indian Constitution and understand more substantively what they mean.

संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाएँ कि ये कर्तव्य कौन से हैं और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्त्वपूर्ण है?

The Constitution also mentions Fundamental Duties. Find out with the help of your teacher what these include and why it is important for citizens in a democracy to observe these.

ग्यारह मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र, तस्वीरें बनाएं अथवा उन पर कविताएं, गीत लिखें तथा कक्षा में इन पर चर्चा करें।

Illustrate each of the 11 Fundamental Duties with drawings, pictures, poems or songs and discuss them in the classroom.

अभ्यास

1. किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
2. नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है। दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा संविधान में से लिया गया है।

1990 का नेपाल का संविधान
भाग-7: कार्यपालिका

अनुच्छेद 35: कार्यकारी शक्तियाँ
नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्रिपरिषद् में निहित होंगी।

2015 का नेपाल का संविधान
भाग-7: संघीय कार्यपालिका

अनुच्छेद 75: कार्यकारी शक्तियाँ
नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ, संविधान और कानून के अनुसार, मंत्रिपरिषद् में निहित होंगी।

Exercises

1. Why does a democratic country need a Constitution?
2. Look at the wordings of the two documents given below. The first column is from the 1990 Nepal Constitution. The second column is from the more recent Constitution of Nepal.

1990 Constitution of Nepal Part 7: Executive	2015 Constitution of Nepal Part 7: Federal Executive
Article 35: Executive Power: The executive power of the Kingdom of Nepal shall be vested in His Majesty and the Council of Ministers.	Article 75: Executive Power: The executive power of Nepal shall, pursuant to this Constitution and law, be vested in the Council of Ministers.

नेपाल के इन दोनों संविधानों में 'कार्यकारी शक्ति' के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है? क्यों?

3. अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता?
4. निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन हैं? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्त्वपूर्ण है। इसका एक-एक कारण बताइए।

(क) एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं।

(ख) एक शहर में 5 प्रतिशत लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं।

(ग) एक कारखाने के भोजनालय में 80 प्रतिशत कर्मचारी शाकाहारी हैं।

(घ) 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं।

What is the difference in who exercises 'Executive Power' in the above two Constitutions of Nepal?

3. What would happen if there were no restrictions on the power of elected representatives?
4. In each of the following situations, identify the minority. Write one reason why you think it is important to respect the views of the minority in each of these situations.
 - (a) In a school with 30 teachers, 20 of them are male.
 - (b) In a city, 5 per cent of the population are Buddhists.
 - (c) In a factory mess for all employees, 80 per cent are vegetarians.
 - (d) In a class of 50 students, 40 belong to more well-off families.

5. नीचे दिए गए बाएँ कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने दो वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है-

मुख्य आयाम	महत्त्व
संघवाद - <u>Federalism</u>	
✓ शक्तियों का बँटवारा = <u>separation of power</u> - ✓	
✓ मौलिक अधिकार - <u>F.R</u> - ✓	
✓ संसदीय शासन पद्धति - <u>Parliamentary</u> - ✓	

no. 2123 - words

5. The column on the left lists some of the key features of the Indian Constitution. In the other column write two sentences, in your own words, on why you think this feature is important:

Key Feature	Significance
Federalism	
Separation of Powers	
Fundamental Rights	
Parliamentary Form of Government	




6. उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएँ निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगती हैं।

(क) बांग्लादेश

(ख) भूटान


(ग) नेपाल

3/4



6. Write down the names of the Indian States, which share borders with the following neighbouring nations:

- (a) Bangladesh
- (b) Bhutan
- (c) Nepal





शब्द संकलन

मनमानापन - जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद-नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। जहाँ नियम तय नहीं किए गए हों या जहाँ फैसलों का कोई आधार नहीं है, उसे ही मनमाना कहा जा सकता है।

आदर्श- जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय उन्नीसवीं सदी में हुआ था। इस आंदोलन में हजारों मर्द-औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे। यह आंदोलन 1947 में भारत की आजादी में परिणत हुआ। इसी वर्ष की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में इस आंदोलन को आप और अच्छी तरह से जानेंगे।

राज्य व्यवस्था (Polity)- इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्यव्यवस्था है।

संप्रभु- इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है।

मानव व्यापार- राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार विभिन्न चीजों की गैरकानूनी खरीद-बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों की गैरकानूनी खरीद-फ़रोख़्त से है जिसे मानव व्यापार कहा जाता है।

निरंकुशता- इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है।



Arbitrary: When nothing is fixed and is instead left to one's judgment or choice. This can be used to refer to rules that are not fixed, or decisions that have no basis etc.

Ideal: A goal or a principle in its most excellent or perfect form.

Indian national movement: The Indian national movement emerged in nineteenth-century India and saw thousands of men and women coming together to fight British rule. This culminated in India's independence in 1947. You will learn about this in greater detail in your history textbook this year.

Polity: A society that has an organised political structure. India is a democratic polity.

Sovereign: In the context of this chapter it refers to an independent people.

Human Trafficking: The practice of the illegal buying and selling of different commodities across national borders. In the context of Fundamental Rights discussed in this chapter, it refers to illegal trade in human beings, particularly women and children.

Tyranny: The cruel and unjust use of power or authority.

धन्यवाद



इकाई- 1
Unit - 1

भारतीय संविधान और
धर्मनिरपेक्षता

The Indian Constitution
and Secularism

अध्याय- 2

धर्मनिरपेक्षता की समझ
Understanding Secularism

CLASS
VIIIth
(Polity)

NCERT
Based



By : Karan Sir


Realism

इकाई - 1- भारतीय
संविधान और धर्मनिरपेक्षता

अध्याय- 2

धर्मनिरपेक्षता की समझ

S - Sar -
S - Sar -
S - secular
D
P



धर्मनिरपेक्षता की समझ




कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराये पर मकान नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ़ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप

Understanding Secularism

Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. How would this make you feel? Would it not make you feel resentful? What if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India. Would this not make you feel angry?

Secularism

धर्म निरपेक्षता



HINDU - हिंदू धर्म
Jeh - धर्म
नियम

देश Country

नियम

धार्मिक देश
Religious Country

Him धर्म =
Mu धर्म =
Su =
S

देश


Indian Secularism

↓ धर्मनिरपेक्षता

राज्य का कोई धर्म नहीं है. No Religion of state


परंतु राज्य सभी धर्मों को बराबर मानता है.

But give Equal time to all Religions.



~~Noon~~ धर्म

India = धर्म
=
=



India

पश्चिमी देश
Western

राज्य/ state = कोई धर्म नहीं ✓
 state = सभी धर्मों को बरकर. ✓

state = कोई धर्म नहीं है ✓
 state = सभी धर्मों को equal

पंचप्रतिपक्ष = ✓

✓ राज्य = धर्म में हस्तक्षेप
 State - Religion interfer

~~राज्य~~
~~State~~

कोई हस्तक्षेप

संविधान
राज्य - कोई धर्म नहीं है.
State - No Religion.


राज्य सभी धर्मों को बराबर महत्व
State - All Religion.

राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है
State can interfere in Religion.

Secularism

पंचमिरीपेउ

नहीं कर सकता



ले सकता है एक, हाँ सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ़ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूलमंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है।

Your anger could take two forms. First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in places where Hindus and Muslims are in a majority. This is a form of retaliation. Or, you might take the view that there should be justice for all. You may fight, stating that no one should be discriminated against on grounds of their religious practices and beliefs. This statement rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end. This is the essence of secularism. In this chapter, you will read more about what this means in the Indian context.

इस अध्याय की भूमिका को एक बार फिर पढ़िए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकती? अगर सारे समूह बदले के रास्ते पर चल पड़ें तो क्या होगा?

Re-read the introduction to this chapter. Why do you think retaliation is not the proper response to this problem? What would happen if different groups followed this path?


इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजरायल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर-मुसलमानों का मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा-अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं।


Hindu x
x Hindu

History provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the grounds of religion. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. Now, however, the Jewish State of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church etc., and nor can they gather in a public place for prayers.

इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएँ तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। ज़ाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है?


In all of the above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the State at the expense of other religions. Clearly no one would wish to be discriminated against, because of their religion nor dominated by another religion. In India, can the State discriminate against citizens on the grounds of their religion?





तन्वी, अभिलाषा और स्नेहल, VI बी, सृजन स्कूल, दिल्ली

इस अध्याय में तीन चित्र आप ही के उम्र के विद्यार्थियों ने बनाए हैं। उन्हें धार्मिक सहिष्णुता पर चित्र बनाने के लिए कहा गया था।



Tanvi, Abhilasha and Snehal, VI B, Srijan School, Delhi.

The three drawings in this chapter were done by students of your age. They were asked to draw on religious tolerance.

धर्मनिरपेक्षता क्या है?

पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारा रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर-तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक-दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है।


'धर्म - राज्य का अलगाव'
 धर्मनिरपेक्षता

What is Secularism?

In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains Fundamental Rights that protect us against State power as well as against the tyranny of the majority. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these. In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the State. Secularism refers to this separation of religion from the State.

Secularism

राज्य धर्म
अलग
separation



धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है?

जैसी कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलु है धर्म को राजसत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ-साथ रहते हैं। ज़ाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुँच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ़ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। उनके

Why is it Important to Separate Religion from the State?

As discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from State power. This is important for a country to function democratically. Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. Within these religious groups, there will most likely be one group that is in a majority. If this majority religious group has access to State power, then it could quite easily use this power and financial resources to

Pale = (अल्पसंख्यक)
 Minority
 Pak

साथ जोर-जबरदस्ती हो सकती है। यहाँ तक कि कब्र बारा कब्रि हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म का मानन वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन, वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग-अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है।

Religio =

FR 25-28

सि. फ. क.

discriminate against and persecute persons of other religions. This tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion and at times even the killing of religious minorities. The majority could quite easily prevent minorities from practising their religions. Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of Fundamental Rights that can result is one reason why it is important to separate the State and religion in democratic societies.

मौलिक अधिकारों

लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करना है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी

राज्य

Another reason that it is important to separate religion from the State in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religious teachings differently. To understand this point better, let us take the practice of untouchability. You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore, you want to try and reform it.

Religion

आमिन्देरा

धर्म
Religi

राज्य
State

राज्य

धर्म

✓


न लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएँगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है।

However, if State power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. These members who have control of State power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently.

कक्षा में चर्चा करें- क्या एक ही धर्म के भीतर अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं?



Discuss in class: Can there be different views within the same religion?



भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है?

भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार, केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का खयाल रख सकता है कि-

1. कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए;
2. कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएँ; और

Inter-Religion - अंतर धार्मिक धर्मनिरपेक्षता
Intra Religion - अंतर धार्मिक धर्मनिरपेक्षता


What is Indian Secularism?

The Indian Constitution mandates that the Indian State be secular. According to the Constitution, only a secular State can realise its objectives to ensure the following:

1. that one religious community does not dominate another;
2. that some members do not dominate other members of the same religious community;

VPSL 2A
 BPSL - 1A

Inter - 25 - 28



X X X X

Intra

अन्तःव्यक्ति

17

HINDU = हिन्दू

- ब्राह्मण
- शक्ति
- शूद्र

Horizontal

Hjoh DV

answering ✓

Hjoh DV

1) धर्मनिरपेक्षा - Secularism v. 50 words ✓

2) धर्म से राज्य का अलगाव जरूरी क्यों? → 100 शब्द.

Why the separation of state from Religion is Required

3) भारतीय धर्मनिरपेक्षा - Indian form of secularism?

4) Indian Secularism vs Western Secularism?
भारतीय और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षा

100

3. राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा।

इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

3. that the State does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals.

The Indian State works in various ways to prevent the above domination. First, it uses a strategy of distancing itself from religion. The Indian State is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion. In India, government spaces like law courts, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion.

सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय

सर! अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है। हमने कभी स्कूल में यह त्योहार नहीं मनाया। क्या इस साल मनाएँ?



नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है। हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल तो धार्मिक करे। सरकारी स्कूल अपनी धारदारता के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी त्योहार धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं।



मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्योहार मना सकते हैं।



खैर, कोई बात नहीं। हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्योहार का आयोजन कर ही रहे हैं।

In a government school in Seemapur, students want to celebrate a religious festival.

GOVERNMENT HIGH SCHOOL

Sir, there is a big religious festival next month. We've never celebrated it in school. Can we do it this year?

I'm afraid that isn't possible, Rekha. This is a government school. We cannot give importance to any one religion. Private schools may do that. Government schools don't celebrate any religious festivals in the school premises. Most religious festivals are public holidays so that we can celebrate these at home.



I never thought of it this way. I guess we can always celebrate it outside school.

Anyway we were planning to celebrate it in our locality.

उपरोक्त चित्रकथा-पट्ट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ़ होता। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के ज़रिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है।

In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religions equally. Government schools cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebrations. This rule does not apply to private schools.

उपरोक्त चित्रकथा-पट्ट में शिक्षक ने जो उत्तर दिया है उस पर चर्चा करें।

In the above storyboard, discuss the answer given by the teacher.

धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए, राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है।

The second way in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the State makes certain exceptions for particular religious communities.

राज्य - (धर्म अहस्तक्षेप)
 // यह

राज्य X

सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के तीन उद्देश्यों को दोबारा पढ़िए। आप इस बारे में दो वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए।

Government schools often have students from different religious backgrounds. Re-read the three objectives of a secular State and write two sentences on why it is important that government schools do not promote any **one** religion?

कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं। वे साथ-साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार हैं।

अरे, तुम्हारे पास हेलमेट तो है न!
दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है। यही कानून है। फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या?

फिक्र मत करो।
मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा!

अरे, परमजीत! तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा?

देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है। इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।




A group of friends who've recently bought scooters are meeting to go for a ride together.

Hey, I hope you have a helmet. You know the law in Delhi requires that you wear one. Why aren't you wearing a helmet? Do you want to be fined?

Don't worry, I will not be fined.

Hey Paramjit! Why won't you be fined?

For Sikhs, wearing a *pugri* is a very important part of our religion. The government cannot force me to wear a helmet.




इस चित्रकथा-पट्ट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। कारण यह कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है।

In the above storyboard, Paramjit, the Sikh youth, does not have to wear a helmet. This is because the Indian State recognises that wearing a *pugri* (turban) is central to a Sikh's religious practice and in order not to interfere with this, allows an exception in the law.

धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग 'ऊँची जाति' के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों (कुछ 'निचली जातियों') को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग-थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान

The third way in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention. You read earlier in this chapter about untouchability. This is a good example where members of the same religion ('upper-caste' Hindus) dominate other members (some 'lower castes') within it. In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination

ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग-थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है जो 'निचली जातियों' के लोगों के मौलिक अधिकारों का हानि करता है क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ-बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित 'निजी कानूनों' में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है।



of 'lower castes', the Indian Constitution bans untouchability. In this instance, the State is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes, and that violates the Fundamental Rights of 'lower castes' who are citizens of this country. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the State may have to **intervene** in the religion-based 'personal laws' of communities.



राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर-प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है।

अनु. 30

कॉलेज

The intervention of the State can also be in the form of support. The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. It also gives them financial aid on a non-preferential basis.

द्वारा

राज्य

पंथनिरपेक्ष Pant-Nuspan



संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सबह सबसे पहले 'वफादारी की शपथ' (Pledge of allegiance) लेते हैं। इस शपथ में "ईश्वर की छत्रछाया" शब्द आते हैं। साठ साल से भी पहले ही वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे को धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ "ईश्वर की छत्रछाया" वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे 'वफादारी की शपथ' लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।



In the United States of America, most children in government schools have to begin their school day reciting the 'Pledge of Allegiance'. This Pledge includes the words "under God". It was established more than 60 years ago that government school students are not required to recite the Pledge if it conflicts with their religious beliefs. Despite this, there have been several legal challenges objecting to the phrase "under God" saying that it violates the separation between church and State that the First Amendment of the US Constitution guarantees.

The above photo shows students taking the 'Pledge of Allegiance' in a government school in the U.S.A.

भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है?

ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते-जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के ज़रिए विधायिका को ऐसे

In what way is Indian secularism different from that of other democratic countries?

Some of the above objectives are similar to those that have been included in the Constitutions of secular democratic countries in other parts of the world. For example, the First Amendment of the U.S. Constitution prohibits the legislature from making laws “respecting an establishment of religion” or that “prohibit the free exercise of religion”.

कानून बनाने से रोक दिया गया है जो “धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते” हों या “धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते” हों। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म, दोनों ही एक-दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते।

What is meant by the word ‘establishment’ is that the legislature cannot declare any religion as the official religion. Nor can they give preference to one religion. In the U.S.A. the separation between State and religion means that neither the State nor religion can interfere in the affairs of one another.

शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फ़र्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों

There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practised in the United States of America. This is because unlike the strict separation between religion and the State in American secularism, in Indian secularism the State can intervene in religious affairs. You have read about how the Indian Constitution intervened in Hindu religious practices

में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फ़ासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके ज़रिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं।

X
 X
 X
 संविधान

in order to abolish untouchability. In Indian secularism, though the State is not strictly separate from religion it does maintain a principled distance vis-à-vis religion. This means that any interference in religion by the State has to be based on the ideals laid out in the Constitution. These ideals serve as the standard through which we can judge whether the State is or is not behaving according to secular principles.

भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है।

secular

The Indian State is secular and works in various ways to prevent religious domination. The Indian Constitution guarantees Fundamental Rights that are based on these secular principles. However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. Indeed it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such rights exist makes us sensitive to their violations and enables us to take action when these violations take place.

क्या आप भारत के किसी भी भाग से हाल की कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जहाँ संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन किया गया हो और लोगों को उनके धर्म की वजह से प्रताड़ित किया गया हो या मारा गया हो?

Can you think of a recent incident, from any part of India, in which the secular ideals of the Constitution were violated and persons were persecuted and killed because of their religious backgrounds?

फ़रवरी 2004 में फ़्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुरका, यहूदी टोपी या बड़े-बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिह्नों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ़्रांस में रहने वाले उन आप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतया अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ़्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ़्रांस में मज़दूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन आप्रवासियों को फ़्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन आप्रवासियों की बेटियाँ स्कूल में अक्सर सिर पर रूमाल बाँधकर जाती हैं। लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रूमाल बाँधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया है।

In February 2004, France passed a law banning students from wearing any conspicuous religious or political signs or symbols such as the Islamic headscarf, the Jewish skullcap, or large Christian crosses. This law has encountered a lot of resistance from immigrants who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia and Morocco. In the 1960s, France had faced a shortage of workers and, therefore, had provided visas for these immigrants to come and work in the country. The daughters of these immigrants often wear headscarves while attending school. However, with the passing of this new law, they have been expelled from their school for wearing headscarves.

अभ्यास

1. अपने आस-पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है?
2. अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए।
3. इस तालिका को पूरा कीजिए-


उद्देश्य	यह महत्त्वपूर्ण क्यों है?	इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण
एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता		
राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है		
एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाएँ		

Exercises

1. List the different types of religious practice that you find in your neighbourhood. This could be different forms of prayer, worship of different gods, sacred sites, different kinds of religious music and singing etc. Does this indicate freedom of religious practice?
2. Will the government intervene if some religious group says that their religion allows them to practise infanticide? Give reasons for your answer.
3. Complete the following table:

Objective	Why is this important?	Example of a violation of this objective
One religious community does not dominate another.		
The State does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals.		
That some members do not dominate other members of the same religious community.		

4. अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए। उनमें से कितनी छुट्टियाँ विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं? इससे क्या संकेत मिलता है?
 5. एक ही धर्म के भीतर अलग-अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दें?
 6. भारतीय राज्य धर्म से फ़ासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझाने वाला विचार लग सकता है। इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं।
-
4. Look up the annual calendar of holidays of your school. How many of them pertain to different religions? What does this indicate?
 5. Find out some examples of different views within the same religion.
 6. The Indian State both keeps away from religion as well as intervenes in religion. This idea can be quite confusing. Discuss this once again in class using examples from the chapter as well as those that you might have come up with.



7. साथ में दिया गया यह पोस्टर 'शांति' के महत्त्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया है कि "शांति कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है... यह हमारी आपसी भिन्नताओं और साझा हितों को नज़रअंदाज़ करके नहीं चल सकती।" ये वाक्य क्या बताते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता से इसका क्या संबंध है?

इस अध्याय में आप ही की उम्र के विद्यार्थियों ने भी धार्मिक सहिष्णुता पर तीन तस्वीरें बनाई हैं। धार्मिक सहिष्णुता को ध्यान में रखते हुए अपने साथियों को दिखाने के लिए खुद एक पोस्टर बनाइए।

7. This poster alongside highlights the need for 'Peace'. It says, "Peace is a never-ending process....It cannot ignore our differences or overlook our common interests." Write in your own words what you think the above sentences are trying to convey? How does it relate to the need for religious tolerance?

This chapter had three drawings on religious tolerance made by students of your age. Design your own poster on religious tolerance for your peers.



ज़ोर-ज़बरदस्ती- इसका मतलब है किसी को कोई चीज़ करने के लिए मजबूर करना। इस अध्याय के संदर्भ में यह शब्द राज्य जैसी किसी कानूनी सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से है।

व्याख्या की स्वतंत्रता- सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की छूट होती है। इस अध्याय में व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब है कि हरेक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय कर सकता है।

हस्तक्षेप- प्रस्तुत अध्याय में इसका मतलब है संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास।



Coercion: To force someone to do something. In the context of this chapter, it refers to the force used by a legal authority like the State.

Freedom to interpret: The independence that all persons shall have to understand things in their own way. In the context of this chapter, it refers to a person's liberty to develop their own understanding and meaning of the religion they practice.

Intervene: In the context of this chapter, it refers to the State's efforts to influence a particular matter in accordance with the principles of the Constitution.

धन्यवाद